विजय कुमार करवा

बनाम

आधिकारिक समकक्ष, रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

(सिविल अपील नंबर 1661/2008)

फरवरी 28, 2008

(डा० अरिजीत पसायत, सी.के.ठक्कर व लोकेश्वर सिंह पंत जज)

कंपनी अधिनियम, 1956, धारा 483- के तहत अपील दायर की गई - का संक्षिप्त निस्तारण - की शुद्घता - अभिनिर्धारितः- यह एक वैधानिक अपील के रूप में थी इसलिये सही नहीं है - मामला उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया।

अपीलार्थी जो कि कंपनियों के समूह का प्रतिनिधि था व रूग्ण कंपनी के पुनः प्रवर्तन में रूचि रखता था। उसके द्वारा कंपनी मामले क कार्यवाही के संबंध में उच्च न्यायालय में आवेदन कर परिसमापन में कंपनी की संपत्तियों की खरीद के लिये प्रतिफल राशि के रूप में 65.51 करोड रूपये का भुगतान करने का प्रस्ताव दिया और उद्योग के पुनरूद्घार के लिये 650 करोड रूपयों का निवेश करने का प्रस्ताव दिया। अपीलार्थी के द्वारा पेश किये आवेदन में की गई प्रार्थना के संबंध में अधिकारिक परिसमापन द्वारा जवाब पेश किया गया।

मामलों की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा की गई व कंपनी की

परिसंपत्तियों के लिये विक्रय सूचना जारी करने के निदेश दिये गये। अपीलार्थी द्वारा अंतरवर्ती आवेदन का निस्तारण किया गया।

उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा एक अपील दिनांक 11-01-2007 को धारा 483 कंपनी अधिनियम के तहत खण्डपीठ डिविजनल बैंच के समक्ष दायर की गई। कंपनी न्यायाधीश द्वारा मामले में आगे कार्यवाही की गई व कंपनी की संपत्तियों को भारतीय रेलवे के पक्ष में बेचने का निर्देश दिया, जिससे 140 करोड रूपये में उक्त संपत्तियों को खरीदने का प्रस्ताव दिया था। दिनांक 12-03-2007 को अपीलार्थी द्वारा अपने प्रस्ताव विवरण देते हुये अंतरवर्ती आवेदन दायर किया गया।

आक्षेपित आदेश के द्वारा खण्डपीठ ने अपील खारिज करदी। इस न्यायालय के समक्ष अपील में अपील कर्ता ने तर्क दिया कि ऐसा सारांश निपटान अक्षम्य है, खासकर जब अपील एक वैधानिक अपील है।

इस अपील का निस्तारण कर मामला पुनः विधिवत सुनवाई हेतु उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करने के लिये बाध्य है, जबकि उक्त अपील को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किया गया हो ना कि संक्षेप या सीमित रूप से। प्रत्येक आदेश जिसे उचित रूप से न्यायिक आदेश माना जा सकता है, जो प्रशासनिक आदेश से अलग है, अधिनियम की धारा 483 के संदर्भ में अपील योग्य है।

शांता जेनेविन्वे पाॅमरेट व अन्य बनाम सकल पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड व अन्य ए.आई.आर. (1983) सुप्रिम कोर्ट 269, श्रीमती अराती दत्त बनाम मैसर्स ईस्टर्न टी एस्टेट (प्रा0) लिमिटेड ए.आई.आर. (1988) सुप्रिम कोर्ट, 325 को दृष्टिगत रखा गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नं. 1661/2008

(पटना उच्च न्यायालय के सी.ए. नंबर 4/2006 में निर्णय व आदेश दिनांक 02.04.2007 से)

अपीलार्थी की ओर से पी.एस. मिश्रा, मनू शंकर मिश्रा, रविचन्द्र मिश्रा व अमित पवन।

प्रत्यर्थी की ओर से ए. शरण, ए.एस.जी., देवाशीष बारूका, अशोक के. श्रीवास्तव, राहुल कौशिक, बी.के.प्रसाद, डी. एस. महारा, बीनू तामिया, संजय कपूर, राजीव कपूर, शुभ्रा कपूर व आरती सिंह।

निर्णय डाॅ0 अरिजीत पसायत द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. इस अपील में चुनौती कंपनी अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 483 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर 2006 की कंपनी अपील संख्या 4 को खारिज करने वाले पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को दी गई है।

3. प्रकरण के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैंः-

कंपनी केस नंबर 3/1984, रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इसके बाद कंपनी के रूप में संदर्भित) के संबंध में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, जो कथित तौर पर रूग्ण हो गई थी। अपीलकर्ता का मामला यह है कि हालांकि इसे पुनर्जिवित करने के प्रयास किये गये, लेकिन यह सफल नहीं हो सका, आखिरकार हाई कोर्ट ने कंपनी की संपत्ति के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू की। अपीलकर्ता ने बांगड ग्रुप आॅफ इंडस्ट्रीज, कलकत्ता का प्रतिनिधि होने का दावा करते हुये उक्त मामले में एक आवेदन दायर किया। लगभग 5,000 करोड रूपये के वार्षिक कारोबार वाले समूह का विवरण देने के बाद, आवेदन में यह उल्लेख किया गया था कि अपीलकर्ता कंपनी के पुनरूद्धार में रूचि रखता था। यह भी उल्लेख किया गया था कि अपीलकर्ता ने राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव और औद्योगिक विकास की गुंजाईश के कारण ऐसा निर्णय लिया था। अपीलकर्ता ने परिसमापन में कंपनी की संपत्तियों की खरीद के लिये प्रतिफल राशि के रूप में 65.51 करोड रूपये का भुगतान करने का प्रस्ताव दिया और उद्योग के पुनरूद्धार के लिये 650 करोड रूपये का निवेश करने का प्रस्ताव रखा। अपीलकर्ता के आवेदन पर सरकार और सरकार के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न कदम उठाए गये। आधिकारिक परिसमापक को अपीलकर्ता द्वारा आवेदन में की गई प्रार्थनाओं का जवाब दायर करने के लिये कहा गया। आधिकारिक परिसमापक ने दिनांक 19.06.2006 को अपना जवाब दायर किया। दिनांक 25.08.2006 को मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के द्वारा की गई, जिसने कंपनी की संपत्ति के लिये

विक्रय नोटिस जारी करने का निर्देश दिये। अपीलकर्ता द्वारा दायर अंतरवर्ती आवेदन का निस्तारण कर दिया गया।

अपीलकर्ता की आपत्ति यह है कि बिना कोई कारण बताये पुनरूद्धार की वांछनीयता पर विचार किये बिना ही याचिका का निस्तारण कर दिया गया। आधिकारिक परिसमापक के द्वारा दायर जवाब को दृष्टिगत रखा गया जिसके द्वारा यह जाहिर किया गया कि अतिरिक्त जानकारी अपीलार्थी से मंगवाई जा सकती है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने धारा 483 कंपनी अधिनियम के तहत दिनांक 11.01.2007 को खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की। कंपनी न्यायाधीश के द्वारा मामले में आगे सुनवाई करते हुये कंपनी की संपत्तियों को भारतीय रेलवे के पक्ष में बेचने का निर्देश दिया, जिसके द्वारा 140 करोड रूपये का प्रस्ताव दिया गया था। दिनांक 12.03.2007 को अपीलकर्ता द्वारा अपने प्रस्ताव का विवरण देते हुये अंतरवर्ती आवेदन दायर किया गया था। आक्षेपित आदेश के द्वारा खंडपीठ ने अपील खारिज करदी। हालांकि अपील के समर्थन में विभिन्न आधार उठाये गये हैं, चुनौति का प्राथमिक आधार यह है कि इस तरह का संक्षिप्त निस्तारण अक्षम्य है, खासकर जब अपील एक वैधानिक अपील है।

4. हालांकि प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जाहिर किया कि अपील में कोई ठोस आधार नहीं था क्योंकि विद्वान कंपनी न्यायाधीश के द्वारा मामले में विस्तृत रूप से विचार किया गया था। यह भी जाहिर

किया गया कि भारतीय रेलवे ने पहले ही अत्यधिक मात्रा में धन का निवेश किया था।

5. कंपनी अधिनियम की धारा 483 इस प्रकार है-

> "धारा 483. आदेशों के विरूद्ध अपील। न्यायालय द्वारा किसी कंपनी को बंद करने के मामले में कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ होने से पहले दिये गये किसी भी आदेश या दिये गये निर्णय के खिलाफ अपील उसी न्यायालय में की जाएगी, जो उसी तरीके से, और उन्हीं शर्तों के अधीन, जिनके तहत, उसके सामान्य क्षेत्राधिकार के भीतर के मामलों में न्यायालय के किसी भी आदेश या निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती है।"

6. शांता जेनेविन्वे पाॅमरेट व अन्य बनाम सकल पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड व अन्य ए.आई.आर.(1983) सुप्रिम कोर्ट 269, श्रीमती अराती दत्त बनाम मैसर्स ईस्टर्न टी एस्टेट (प्रा0) लिमिटेड ए.आई.आर.(1988) सुप्रिम कोर्ट, 325 - इस न्यायालय द्वारा यह पाया गया था कि उच्च न्यायालय विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करने के लिये बाध्य है, जबकि उक्त अपील को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किया गया हो ना कि संक्षेप या सीमित रूप से।

7. यहाॅं यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्येक आदेश जिसे उचित रूप से न्यायिक आदेश माना जा सकता है, जो प्रशासनिक आदेश से अलग

है, अधिनियम की धारा 483 के संदर्भ में अपील योग्य है।

8. उपरोक्त परिस्थिति अनुसार, उच्च न्यायालय के उक्त विवादित आदेश को अपास्त करते हुये मामले को विधिनुसार नए सिरे से निस्तारित किये जाने के लिये प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष द्वारा दिये गये तथ्यात्मक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुये, उच्च न्यायालय को अगस्त, 2008 के अंत तक अपील का निस्तारण करने का अनुरोध किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति का आदेश दिनांक 31.08.2007 अपील के अंतिम निस्तारण तक प्रभावी रहेगा। यहाॅं यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह अंतरिम आदेश पारित करते समय इस न्यायालय के द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जा रही है।

अपील का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती मनदीप, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।